संख्या-5/2017/क0नि0-4-1151/11-2017-400(83)/2000

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर, 2017**

विषयः-जनपद गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि में अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-नोएडा-03-(ट)/भाग-2/2017-18/466 /वाणिज्य कर, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 एवं शासन के पत्र संख्या-क0नि0-4-318/11-2017 - 400(83)/2000, दिनांक 09 जून,2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन के आधार पर रू0 4285.02 लाख (रू0 बयालीस करोड़ पचासी लाख दो हजार मात्र) की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के बजट में उक्त कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये-1235.02 लाख में अवशेष धनराशि रूपये-651.69लाख (रूपये-छः करोड़ इक्यावन लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
4. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त वाणिज्य कर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्य पूर्व किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया है, न ही किसी अन्य योजना में प्रस्तावित है।
6. उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03अगस्त,.2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1308-जनपद नोएडा में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या-5/2017/क0नि0-4-1151(1)/11-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहबाद।
2-महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर (नोयडा)।
4- एडीशनल कमिश्नर (लेखा)वाणिज्य कर मुख्यालय,लखनऊ।
5-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6-परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, नोएडा इकाई-3, नोएडा,गौतमबुद्धनगर।
7-गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी(बजट)।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।